

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं००९/आ०-७-१४/२००४

/स्वा०/पटना,दिनांक

/ डा०

ललन प्रसाद सिंह, तत्कालीन निलंबित चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलुआ बाजार, छातापुर, सुपौल को स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना सं० १०६८(९) दिनांक १८.०९.२००८ द्वारा निलंबन मुक्त एवं आरोप मुक्त किया गया तथा विभागीय कार्यवाही समाप्त की गई थी। किन्तु निलंबन अवधि ०९.०५.२००२ से १८.०९.२००८ तक के वेतन के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सका था।

समीक्षोपरान्त डा० सिंह की निलंबन अवधि (दिनांक ०३.०६.२००२ से १८.०९.२००८ तक) को कार्य अवधि मानते हुए उक्त अवधि का (पूर्व में भुगतान किए गए जीवन निर्वाह भत्ता छोड़कर) पूर्ण वेतन भुगतान का आदेश दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

स्वा० विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक: ११०८ (९) /स्वा०, पटना, दिनांक: ३१/१२/२०१५

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी सुपौल/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आर०डी०डी० सहरसा/छपरा/सिविल सर्जन सुपौल एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० ललन प्रसाद सिंह, तत्कालीन निलंबित चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलुआ बाजार, छातापुर, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी २,३,५,७,८,१०, एवं १७ स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव